रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092024-256940
CG-DL-E-05092024-256940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3489] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2024/भाद्र 14, 1946
No. 3489] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2024/BHADRA 14, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2024

का.आ. 3819(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गौटाला अत्रमघाट वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3996 (अ) द्वारा, तारीख 09 दिसम्बर, 2016 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3996 (अ) द्वारा, तारीख 09 दिसम्बर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3996 (अ) द्वारा, तारीख 09 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. निगरानी समिति.** – केंद्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर एक निगरानी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: -

(i)	जिला कलेक्टर, औरंगाबाद	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला कलेक्टर, जलगांव का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iii)	जिला परिषद, औरंगाबाद के एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(iv)	जिला परिषद, जलगांव का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(v)	राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vi)	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे हर तीन वर्ष में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।	सदस्य;
(vii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को हर तीन वर्ष में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(viii)	सदस्य- महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड के सचिव/सदस्य	सदस्य, पदेन;
(ix)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(x)	वरिष्ठ नगर नियोजन अधिकारी	सदस्य, पदेन;
(xi)	उप वन संरक्षक, वन्यजीव औरंगाबाद प्रभाग	सदस्य, पदेन;
(xii)	उप वन संरक्षक, जलगांव प्रभाग	सदस्य, पदेन;
(xiii)	उप वन संरक्षक, औरंगाबाद प्रभाग	सदस्य सचिव, पदेन।

(2) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(4) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/51/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पणी.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3996 (अ) तारीख 09 दिसम्बर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2024

S.O. 3819(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around Gautala Autramghat Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3996 (E), dated the 09 December, 2016;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of the notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3996 (E), dated the 09 December, 2016;

Now, therefore, in exercise of the of the powers conferred by the sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) read with the sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986 the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3996 (E), dated the 09 December, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons specified in the Table below, namely:-

(i)	District Collector, Aurangabad	Chairman, *exofficio*
(ii)	A representative of District Collector, Jalgaon	Member, *exofficio*
(iii)	A representative of Zilla Parishad, Aurangabad	Member, *exofficio*
(iv)	A representative of Zilla Parishad, Jalgaon	Member, *exofficio*
(v)	A representative of Department of Revenue, Government of Maharashtra	Member, *exofficio*
(vi)	A representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member;
(vii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member;
(viii)	Member- Secretary/Member of Maharashtra State Biodiversity Board	Member, *exofficio*
(ix)	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member, *exofficio*
(x)	Senior Town Planning Officer	Member, *exofficio*
(xi)	Deputy Conservator of Forests, Wildlife Aurangabad Division	Member, *exofficio*
(xii)	Deputy Conservator of Forests, Jalgaon Division	Member, *exofficio*
(xiii)	Deputy Conservator of Forests, Aurangabad Division	Member-Secretary, *exofficio.*

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-IV.**

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

[F. No. 25/51/2014-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3996(E), dated the 9th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.05 22:17:39 +05'30'